

दिनांक-07जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भलाई

सड़क पर फेंका कचरा भरना पड़ा 1000 रूपए जुर्माना , उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही भलाईनगर/नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज शास्त्रीनगर , आनंद चौक , वार्ड 06, आकाशगंगा सुपेला सहित निगम के व भन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरीबैग, पॉ लथीन,एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्यवाही करते हुए 4,500 रूपए का अर्थदण्ड वसूला और दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाइश दी। निगम क्षेत्रांतर्गत व भन्न व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग उपयोग करते पाए जाने उसे जप्त कर जुर्माना वसूला गया तथा उड़नदस्ता की टीम ने सुपेला बाजार में सघन दौरा कर सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालों को हटवाया और दुकानदारों को समझाइश दी गई वे दोबारा ऐसा न करें अन्यथा अगली बार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नगर पालिका निगम , भलाई की उड़नदस्ता टीम ने शास्त्रीनगर , आनंद चौक, आकाशगंगा सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, कराना दुकान , बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक , कैरीबैग रखने वालों, बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की।

जनसम्पर्क अधिकारी

